

1271
20/7/11

प्रपत्र संख्या 29 (नियम 12)
अन्वेषण का प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रार्थना पत्र की संख्या

श्री नेम सिंह सिरोही 205 गलुप

ने मेरे पास नीचे उल्लिखित सम्पत्ति क पत्र-देने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है। सम्पत्ति का विवरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित के अनुसार दिया जायेगा।

गालुप? अमर सिंह जीत लाल
10 जयली तल होडल
पललल

आराज 22/7/11
जमप नमर 582/7 के ब्या 2.232-86
जमप नमर 576 के ब्या 0-125-86
गौण खुरख कोण

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति हर प्रभाव डालने वाले कार्यों तथा तत्सम्बन्धी भार प्रस्तावों के लिये वर्ष 22/7/2005 से 21/7/11 तक प्रस्तुत तथा अनुक्रमणिकाओं का अन्वेषण किया गया है और ऐसे अन्वेषण से निम्नलिखित कार्य भार ग्रस्तता प्रकट होता है।

सम्पत्ति का विवरण जेसा लेख्य में दिया है।	निष्पादन का दिनांक	लेखा का प्रकार तथा मूल्य	पक्षकारों के नाम निष्पादन अलटमेन्ट	प्रविष्ट संख्या वर्ष
गौण 300 प्रथम 11 के 2 मा नही पाया	22/7/11	नही	का गौण नही पाया	11

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपोक्त कार्यों तथा ग्रस्तताओं के अतिरिक्त उक्त सम्पत्ति जो प्रसावित करने वाला कोई अन्य भार प्रस्तुता प्राप्त नहीं हुई है।

1- इस प्रमाण में प्रदर्शित वे भार ग्रस्तताएँ हैं जो कि प्रार्थी द्वारा वर्णित सम्पत्ति के विवरण से अभिन्न है। यदि निबन्धन अभिलेखों में सम्पत्ति का विवरण अपने से भिन्न रीति से दिया गया है जैसा प्रार्थी ने नहीं लिखा है तो उस स्थिति में वैसी भार ग्रस्तियों का प्रमाण पत्र में समावेश नहीं किया जायेगा।

2- वाछित अन्वेषण व प्रमाण-पत्र यथा सम्भव सावधानी पूर्वक कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है। फिर भी विभाग किसी भी अन्वेषण प्रमाण-पत्र की त्रुटि अथवा इसके परिणामों के लिये उत्तरदायी नहीं है।

— मैं ने उक्त सम्पत्ति को दे तो ग्रस्त हो गये है किन्तु जिसका निबन्धन हो गया है के सम्बन्ध में भार

प्रामाणी अभिलेखागार
को-उ-नि-011 मथुरा

५
६